कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

पत्रांक 1066/वन भूमि/10स्था0 अल्मोड़ा दिनांक 21/जून 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः जनपद बागेश्वर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 133.0 से 177.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151113/2022

संदर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक **2788/FP/UK/ROAD/151113/2022** देहरादून 21 मई 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा– (X) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	मोटर मार्ग हेतु वन भूमि कितने वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है, कि सूचना ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–I के पैरा A-1(X) में अंकित कर लिया गया है(संलग्न पार्ट I की प्रति)
2	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–I के पैरा A-3(Xvii) में अपलोड कर लिया गया है(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–II, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	इस बिन्दु पर आख्या इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जानी है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee के अधिकांश अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं। शेष दो ग्रामों के (त्यूनरा, बिलौनासेरा) के प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित किये जा रहे है।

5	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–। के पैरा.L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल, जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट–। एवं पार्ट–।। में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का का कष्ट करें।	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–। के पैरा.L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड कर ली गयी है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–6739 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–।। में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–6596 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	मोटर मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या 6739 है। कृपया तद्नुसार पार्ट ।। में अपने स्तर से संशोधन करने की कृपा करें।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	इस बिन्दु पर आख्या इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जानी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

23/06/22

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

पत्रांक /वन भूमि अल्मोड़ा दिनांक जून 2022

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियन्ता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 46/1 कैनाल रोड जाखन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता तृतीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।